दिनांक-15.07.2026 को सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में बिहार राज्य अवस्थित निर्दिष्ट बाँधों के व्यापक बाँध सुरक्षा मूल्यांकण की अद्यतन स्थिति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक-15.07.2026 को सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में व्यापक बाँध सुरक्षा मूल्यांकण (CDSE) की अद्यतन स्थिति एवं बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के संबंध में समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:-

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण:-

1) श्री ब्रजेश मोहन, अध्यक्ष, राज्य बाँध सुरक्षा समिति -सह- अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
2) श्री महमूद आलम, प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन -सह- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना।
3) श्री विजय कुमार, निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना।
4) श्रीमती प्रतिभा कुमारी, उपनिदेशक-1, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार।

सर्वप्रथम निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन बिहार, पटना द्वारा राज्य अवस्थित निर्दिष्ट बाँधों के व्यापक बाँध सुरक्षा मूल्यांकन की अद्यतन स्थिति एवं बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के संबंध में PPT के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दी गई। उक्त के क्रम में निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य अवस्थित कुल 32 अदद् निर्दिष्ट बाँध में से 19 अदद् निर्दिष्ट बाँधों का Comprehensive Dam Safety Evaluation (CDSE) सम्पादित हो चुका है, जिसमें से 13 अदद् बाँधों का Report प्राप्त कर Dharma Portal पर Upload किया जा चुका है।

समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिये गये निदेश निम्नवत् है:-

1. बचे हुए शेष 13 अदद् निर्दिष्ट बाँधों का CDSE अधिनियम में प्रावधानित निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराया जाय। साथ ही सभी बचे हुए निर्दिष्ट बाँधों का CDSE स-समय सम्पन्न हो इसके लिये विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित कर समय निर्धारित कराने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन :- प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार)

2. जिन निर्दिष्ट बाँधों का CDSE पूर्ण हो चुका है, किन्तु उनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है, उन रिपोर्टों को संबंधित विशेषज्ञों से समन्वय स्थापित कर प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन :- प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार)

3. जिन निर्दिष्ट बाँधों का CDSE रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है, उनमें उल्लेखित सुझावों एवं अनुशंसाओं का अनुपालन संबंधित मुख्य अभियंताओं से कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार)

4. राज्य अवस्थित चार निर्दिष्ट Gated बाँधों (खड़गपुर झील, कोहिरा, फुलवरिया एवं अपर क्यूल) का Rule Curve दिसम्बर, 2026 तक तैयार करा लिया जाय। साथ ही जलाशयों का Water Level नियमित रूप से संधारण करते हुए ततसंबंधित आँकड़े केंद्रीय जल आयोग (CWC), नई दिल्ली को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार,/ प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार)

5. बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा-14 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना का पुनर्गठन कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-संयुक्त सचिव, प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना)

6. निर्दिष्ट बाँधों के CDSE कराने के क्रम में विशेषज्ञों को उनका Remuneration fees, TA आदि का भुगतान संबंधित प्रमंडलों द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए निरीक्षण तिथि के समाप्ति से सात दिवस के अंदर कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार /प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा बिहार, पटना)

(डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक: रा0बाँ0सु0सं0कार्य-12/2026 भाग-IV - 615 पटना, दिनांक - 23/07/2026

प्रतिलिपिः- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव, प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Nikhil Kumar 23/07/2026

(निखिल कुमार)
अध्यक्ष
राज्य बाँध सुरक्षा समिति
-सह-
अभियंता प्रमुख
सिंचाई सृजन, जल संसाधन
विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: रा0बाँ0सु0सं0कार्य-12/2026 भाग-IV - 615 पटना, दिनांक - 23/07/2026

प्रतिलिपिः- प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, बिहार, पटना -सह- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Nikhil Kumar 23/07/2026

(निखिल कुमार)
अध्यक्ष

ज्ञापांक: रा0बाँ0सु0सं0कार्य-12/2026 भाग-IV - 615 पटना, दिनांक - 23/07/2026

प्रतिलिपिः-कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाइट पर बैठक की कार्यवाही अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Nikhil Kumar 23/07/2026

(निखिल कुमार)
अध्यक्ष